कार्यालय-प्राचार्य, डॉ.भीमराव अंबेडकर शासकीय महाविद्यालय, बलौदा
जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
नैक द्वारा "बी" ग्रेड प्राप्त

WebSite - www.naveengovtcollegebaloda.in,
Email - naveengovtcollegebaloda@gmail.com

College Code – 3010
AISHE Code – C-22385

क्रमांक 184/स्था./अति.व्या./2026 बलौदा, दिनांक 20.08.2026

–: अतिथि व्याख्याता – जंतु विज्ञान हेतु विस्तृत विज्ञापन :–

कार्यालय आयुक्त, उ.शि.संचालनालय रायपुर का पत्र क्र. ESTB-1027/1216/2025/38-1 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 18.08.2026 एवं छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक ESTB-1027/1216/2025/38-1 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 18.08.2026 के अनुसार डॉ.भीमराव अंबेडकर शासकीय महाविद्यालय बलौदा, जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.) में विषय जंतु विज्ञान (Zoology) में अध्यापन व्यवस्था हेतु निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक अपने समस्त प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 31.08.2026 को सायं 05:30 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक, स्वयं अथवा वाहक के हस्ते प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

क्र.	विषय	स्वीकृत पद	अतिथि व्याख्याता हेतु रिक्त पद
01	जंतु विज्ञान (Zoology)	01	01

आवश्यक शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य दिशानिर्देश :–

01) अतिथि व्याख्याता को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता स्नातकोत्तर स्तर पर 55% अंक होने चाहिए परंतु अनुसूचित जाति, अ.ज.जा. एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए।

02) आयु सीमा अतिथि व्याख्याता हेतु 65 वर्ष होगी।

03) अतिथि व्याख्याता नियमों के अनुसार मेरिट सूची में एक ही श्रेणी में 02 अभ्यर्थियों के अंक समान होते हैं तो राज्य के मूल निवासी को वरियता दी जायेगी।

04) अतिथि व्याख्याता मानदेय 2000/– रूपये प्रति कार्यदिवस (प्रतिमाह अधिकतम 50000/– रूपये होगी)।

05) आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता एवं आवेदित विषय/पद आवश्यक रूप से लिखें। आवेदन केवल रजिस्टर्ड डाक, स्वयं अथवा वाहक के हस्ते कार्यालयीन समय में जमा कर पावती प्राप्त कर सकते हैं।

06) अतिथि व्याख्याता यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहते हैं तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी।

07) शैक्षणिक सत्र में उनके अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होने पर सेवायें तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन के पात्र नहीं होंगे।

08) अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की व्यवस्था हेतु वरियता सूची तैयार करने के लिए अधिकतम अंकों का निर्धारण कण्डिका क्रमांक 6(1), 6(2), 6(3), 6(4), 6(5), के अनुसार होगी।

09) वरियता के आधार पर चयन होने पर अपने मूल प्रमाण पत्र एवं 50/–रूपये के गैर न्यायिक कागज पर नोटरीकृत शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर पदभार ग्रहण कर सकेगें।

10) रिक्त पदों पर नियमित सहा.प्राध्यापक/प्राध्यापक कार्यभार ग्रहण करते हैं तो अतिथि व्याख्याता का पद स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

(डॉ. ए.एल.साण्डे)
प्राचार्य
डॉ.भीमराव अंबेडकर शा.महावि.बलौदा
जिला–जांजगीर–चाम्पा (छ.ग.)

PRINCIPAL
DR. BHIM RAO AMBEDKAR
GOVT. COLLEGE BALODA
DISTT. - JANJGIR CHAMPA (C.G.)

F/Excel/JBD/Advrtzmnt

Scanned with OKEN Scanner

पृ.क्रमांक 185 / 01—04 / स्था. / अति.व्या / 2026 बलौदा दिनांक 20.08.2026

प्रतिलिपि :—

01 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)को सूचनार्थ।

02 कलेक्टर, जिला जांजगीर—चाम्पा (छ.ग.)।

03 अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)।

04 प्राचार्य शास.टी.सी.एल.(अग्रणी) महाविद्यालय, जांजगीर को सूचनार्थ।

(डॉ.ए.एल.साण्डे)
प्राचार्य
डॉ.भीमराव अंबेडकर शा.महावि.बलौदा
जिला—जांजगीर—चाम्पा (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner